



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2026—चैत्र 23, शक 1948

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2026

HOM/32/0006/2025-Gen-02(HOM) : जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि समस्त व्यक्ति, भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य/जनसंख्या गणना कार्य के दौरान उनसे पूछे गये प्रश्नों के बारे में यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान करें।

जनगणना आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है जो मकान की स्थिति, सुविधाओं और सम्पत्तियों, जनसांख्यिकी, साक्षरता, धर्म, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन, प्रजनन क्षमता आदि निम्नतम प्रशासनिक इकाइयों तक अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों और शहरी क्षेत्रों में नगरों/वाडों तक उपलब्ध होता है।

इसका व्यापक उपयोग केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा योजना निर्माण, नीति निर्धारण और प्रभावी सार्वजनिक प्रशासन के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जनगणना डेटा का उपयोग संसदीय, विधानसभा, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण के लिए भी किया जाता है। अतः, जनता से अपेक्षा की जाती है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें। जनगणना अधिनियम, 1948 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जनता की जानकारी के लिए नीचे दिये गए हैं :

(i) धारा 8:- प्रश्नों का पूछा जाना और उत्तर देने की बाध्यता-

(1) जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र कि सीमा में, जिसके लिए नियुक्ति की गई है सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें पूछने के लिए, उसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी और राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा, निर्दिष्ट किया जाए।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन कोई प्रश्न पूछा जाता है, अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा:

परंतु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगा और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिए वह रूढ़ि द्वारा निषिद्ध की गई हो।

(ii) धारा 9:- अधिभोगी प्रवेश करने और संख्याक लगाने देना-

किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जनगणना अधिकारियों को उसमें ऐसा प्रवेश करने देने की अनुज्ञा देगा जिसकी वे जनगणना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करें तथा जो देश की रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हों, और वह उनको ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्याओं से जो जनगणना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, उस स्थान को अंकित करने की, या उनको उस स्थान पर लगाने देने की अनुज्ञा देगा।

(iii) धारा 10:- अधिभोगी या प्रबन्धक द्वारा अनुसूची का भरा जाना-

- (1) ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जैसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे, जनगणना अधिकारी, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, किसी निवासगृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबन्धक या किसी अधिकार के पास एक अनुसूची, जनगणना करने के समय, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग में सहवासियों, या ऐसे प्रबन्धक या अधिकारी के अधीन नियोजित व्यक्तियों के बारे में, ऐसे गृह या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अधिभोगी द्वारा या ऐसे प्रबन्धक या अधिकारी द्वारा उसमें ऐसी विशिष्टियाँ, जैसी जनगणना आयुक्त निदिष्ट करे, भरने के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा।
- (2) जब ऐसे अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब, यथास्थिति, उक्त अधिभोगी, प्रबन्धक या अधिकारी, पूर्वोक्त समय पर, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या उसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और जब उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तब वह इस प्रकार भरी गई और हस्ताक्षरित अनुसूची, जनगणना अधिकारियों को या ऐसे व्यक्ति को जिसे जनगणना अधिकारी निदिष्ट करे, परिदत्त करेगा।

(iv) धारा 11 :- शास्तियां

- (1) - (क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या

(कक) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिए गए किसी आदेश के पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरतने में उपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है, साशय मिथ्या उत्तर देगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इंकार करेगा, या

(ङ) किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इंकार करेगा जैसा कि वह धारा 9 द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है, या

(च) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किन्हीं ऐसे अक्षरों, चिन्हों, या संख्याओं को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है, हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा, या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, या

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो, जानते हुए और बिना पर्याप्त हेतुक के उस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा, या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा, या

(ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा,

जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और भाग (क) के अधीन किसी दोषसिद्धि की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष का हो सकेगा, दंडनीय होगा।]

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(v) धारा 15 :- जनगणना के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा और न वे साक्ष्य में ग्राह्य होंगे-

किसी भी व्यक्ति को, जनगणना अधिकारी द्वारा उस हैसियत में अपने कर्तव्य के निर्वहन में तैयार की गई किसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख का, अथवा धारा 10 के अधीन परिदत्त किसी अनुसूची का, निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख या अनुसूची में की कोई भी प्रविष्टि किसी ऐसे कार्य या लोप के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध बनता है इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किए गए अभियोजन से भिन्न किसी भी प्रकार की किसी सिविल कार्यवाही में अथवा किसी दांडिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी।

HOM/32/0006/2025-Gen-02(HOM) : In exercise of the powers conferred by Rule 8 (ii) of the Census Rules, 1990, the State Government hereby direct all persons to co-operate in furnishing accurate unambiguous information in respect of questions that may be put up to them during the course of Houselisting and Housing Census / Population Enumeration in respect of Census of India, 2027.

The Census is the primary source of data up to the lowest administrative units, i.e. villages in rural areas and town/wards in urban areas on Housing Condition; Amenities & Assets, Demography, Literacy, Religion, Economic Activity, Migration, Fertility etc.

It is widely used for planning and formulation of policies and effective Public Administration by the Central/State/UT Governments. Apart from this, Census data are used for delimitation and reservation of Constituencies for Parliamentary, Assembly, Panchayats and other Local Bodies. Thus, the public are to cooperate in census taking and provide the correct information. Some of the important provisions in the Census Act, 1948 are reproduced below for information of the public.

(i) Section 8 :- Asking of questions and obligation to answer.

(1) A census-officer may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed as, by instructions issued in this behalf by the Central Government and published in the Official Gazette, he may be directed to ask.

- (2) Every person of whom any question is asked under sub-section (1) shall be legally bound to answer such question to the best of his knowledge or belief:

Provided that no person shall be bound to state the name of any female member of his household, and no woman shall be bound to state the name of her husband or deceased husband or of any other person whose name she is forbidden by custom to mention.

- (ii) Section 9 :- Occupier to permit access and affixing of numbers.

Every person occupying any house, enclosure, vessel or other place shall allow census-officers such access thereto as they may require for the purposes of the census and as, having regard to the customs of the country, may be reasonable, and shall allow them to paint on, or affix to, the place such letters, marks or numbers as may be necessary for the purposes of the census.

- (iii) Section 10 :- Occupier or manager to fill up schedule.

- (1) Subject to such orders as the Census Commissioner may issue in this behalf, a census-officer may, within the local area for which he is appointed, leave or cause to be left a schedule at any dwelling-house or with the manager or any officer of any commercial or industrial establishment, for the purpose of its being filled up by the occupiers of such house or of any specified part thereof or by such manager or officer with such particulars as the Census Commissioner may direct regarding the inmates of such house or part thereof, or the persons employed under such manager or officer, as the case may be, at the time of the taking of the census.

- (2) When such schedule has been so left, the said occupier, manager or officer, as the case may be, shall fill it up or cause it to be filled up to the best of his knowledge or belief so far as regards the inmates of such house or part thereof or the persons employed under him, as the case may be, at the time aforesaid, and shall sign his name thereto and, when so required, shall deliver the schedule so filled up and signed to the census-officer or to such person as the census-officer may direct.

- (iv) Section 11 :- Penalties.

- (1) - a) Any census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census who refuses to perform any duty imposed upon him by this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, or

(aa) any census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a census who neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or obeying any such order, or;

(d) any person who intentionally gives a false answer to, or refuses to answer to the best of his knowledge or belief, any question asked of him by a census-officer which he is legally bound by section 8 to answer, or

(e) any person occupying any house, enclosure, vessel or other place who refuses to allow a census-officer such reasonable access thereto as he is required by section 9 to allow, or

(f) any person who removes, obliterates, alters, or damages any letters, marks or numbers which have been painted or affixed for the purposes of the census, or

(g) any person who, having been required under section 10 to fill up a schedule, knowingly and without sufficient cause fails to comply with the provisions of that section, or makes any false return there under, or

(h) any person who trespasses into a census office, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and in case of a conviction under part (a) shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

(2) Whoever abets any offence under sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

(v) Section 15 :- Records of census not open to inspection nor admissible in evidence.

No person shall have a right to inspect any book, register or record made by census-officer in the discharge of his duty as such, or any schedule delivered under section 10, and notwithstanding anything to the contrary in the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023(47 of 2023), no entry in any such book, register, record or schedule shall be admissible as evidence in any civil proceeding whatsoever or in any criminal proceeding other than a prosecution under this Act or any other law for any act or omission which constitutes an offence under this Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी.